उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 60 / 2021–22

बाबूधन मुर्मू.....अपीलकर्त्ता

बनाम

बालेश्वर मुर्मू.....उत्तरकारी

आदेश

25.03.2022

यह रे0मि0 अपील वाद, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–57 / 2002–03 में पारित आदेश दिनांक–25.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अभिलेख में उल्लखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

मौजा धोबनचीपा एक प्रधानी मौजा है। मौजा का अंतिम प्रधान हुदा मुर्मू थे। अंतिम प्रधान हुदा मुर्मू की मृत्यु नावल्द हो चुकी है। अंतिम प्रधान के मृत्यु के पश्चात् अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारी द्वारा मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया गया। अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के दूसरे भाई रतु मुर्मू के परपोता है तथा उत्तरकारी पूर्व प्रधान के छोटे भाई करण मुर्मू के परपोता है। अंचल अधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता को अंतिम प्रधान के सबसे नजदीकी वंशज होने के नाते उन्हें संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया, परन्तु 16 आना रैयतों के द्वारा 25.08.2021 को हस्ताक्षरित आवेदन पत्र समर्पित करते हुए उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्त्ता ईसाई धर्म मानते है, उनके प्रधान बनने से मॉझी थान में पूजा–पाठ एवं अन्य धार्मिक कार्य नहीं होगा। उनके द्वारा पूर्व प्रधान के छोटे भाई करण मुर्मू के परपोता उत्तरकारी को मौजा के प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया। इसी आधार पर उत्तरकारी को मौजा के प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के नजदीकी वारिशान है तथा मौजा में ही निवास करते है।

(2) अंचल अधिकारी द्वारा उन्हें प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है।

(3) धर्म के आधार पर उन्हें प्रधान पद पर नियुक्त नहीं किया जाना न्याय संगत नहीं है।

अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य :–

अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के नजदीकी रिस्तेदार होने के कारण उन्हें संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त करने का अनुशंसा किया गया है।

प्रावधान

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

पुनःश्च Schedule V of the Santal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 provide for the rules for the appointment of headmen.

"In appointing headmen the following rules should be taken into consideration: The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

The appointments of headmen shall be made in accordance with village customs, and before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the raiyats, and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate."

पुनः यह भी उल्लेख है कि:–

"The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted should be headman."

ठाकुर हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य 1980 BLJR 448: 1980 BLJ 212 (DB) के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि :-

'authorities should have first considered the case of person claiming right to the post of pradhan on the basis of hereditary claim. It was pointed out that the procedure of election under Section 5 comes only after rejecting the hereditary claim.'

पुनः बाबुलाल हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य 1998 (1) PLJR 43 में स्थापित है कि :–

"the headman's duty it is self evident that for any meaningful discharge of those duties, it would be essential for the headman to permanently and regularly reside in the village in question and it would not be possible to discharge those duties satisfactorily in case he lived outside the village on government postings and came to the village only intermittently"

इसी प्रकार से महिपाल मिश्रा बनाम झारखण्ड राज्य, 2003 2 जे0एल0जे0आर0 275, के वाद में यह निर्णय दिया गया है कि यदि 'Head Man died then he may leave successor or he may not leave successor and if he does not leave successor then a fresh step under the Rules has to be taken for appointment of a new Head Man. But if he has left some heirs then the question of acceptability of that heir is to be determined as per the Rules. Obvious it is that this acceptability can be ascertained from the will of 2/3 of Jamabandi Raiyats. Rule 3(1) provides that first of all a notice has to be given to 2/3 Raiyats (which ordinarily is called 16 anna raiyats) and if they do not turn up then subsequent notice has to be given and if even thereafter they do not turn up then the Deputy Commissioner will decide the matter rejecting the application made under Section 5.'

इसी प्रकार से **Smt. Swarnlata Devi vrs State of Jharkhand and others, 2003 (3) JLJR 724.** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय के **Division Bench** द्वारा स्थापित किया गया है कि :–

"Section-6 refers to the appointment of a Headman of a village which is not a khas village, by providing that on the death of Headman, the same has to be reported within three month of the death to the Deputy Commissioner with a view to appoint a village Headman in the prescribed manner. It is in this context that the clause in Schedule V are relevant and Clause 4 thereof clearly shows that the next of their of the deceased Headman, unless he is disqualified, shall be the successor Headman of the village.

The procedure laid down in Rule 3 of the General Rules is seen to relate to the appointment of Headman on application under section 5 of the Act."

पुनः उक्त वाद में यह भी उल्लेखित है कि :–

"**Section-5** relates to the appointment of village Headman of a *khas* village. In the case on hand, the village is not *khas* village. Therefore, the office of the Pradhan, Prima facie, is hereditary in nature and the next heir who is fit, is entitled to be the headman, But Rule 3(5) of the General Rules prescribes that in making the appointment of a Headman under section 5 or 6 of the Act, the Deputy Commissioner shall ,as far as, possible, follow the rules prescribed in Schedule V except where the rules, of which clasue 3 forms a part, expressly or by necessary implication, provides otherwise."

निष्कर्ष

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के दूसरे भाई के परपोता है जबकि उत्तरकारी छोटे भाई के परपोता है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन मे अपीलकर्त्ता को प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है किन्तु 16 आना रैयतों द्वारा इनकी नियुक्ति पर आपत्ति है, चुँकि अपीलकर्त्ता ईसाई धर्म के है एवं उनके प्रधान पद पर नियुक्त होने से मॉझी थान में पूजा–पाठ एवं अन्य धार्मिक कार्य नहीं होगा। इस आधार पर पूर्व प्रधान के छोटे भाई के परपोता उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन से संभवतः मौजा के 16 आना रैयतों को अपीलकर्त्ता के प्रधान बनने पर आपत्ति है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में 'subjective considerations' के आधार पर निर्णय लिया गया है।

उपर वर्णित न्यायादेशो तथा प्रावधानों में उल्लेख किया गया है कि संथाल परगना काश्तकारी रूल्स 1950 के शिउड्ल V तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के आलोक में 'Next Heir' 'General Acceptability', 'Fitness' तथा 'Residence in the village' के आधार पर ही प्रधान पद पर नियुक्ति की जानी है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रावधानों के आलोक में 'Next Heir', 'Fitness', 'Residence in the village' तथा 'General Acceptability', पर आधारित नहीं प्रतीत होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए पुनः नियमानुसार सुनवाई करते हुए आदेश पारित करने हेतु Remand back किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

198 dt 17.10.22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.09 17:08:45 +05:30
Location: 169.254.227.244